प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल्यांकन (भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में)

जगदीश कुमार धुर्वे

पीएच.डी. शोधार्थी

वाणिज्य विभाग, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल (म.प्र.) भारत

सारांश - 6.4 लाख से अधिक गॉव के देशा में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गॉवों में निवासरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण गॉव की जनता को पक्के आवास प्रदान करने की महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजना का मूलभूत उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाईयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्गों को चिन्हित किया गया हैं। लाभार्थियों का चयन तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और भू-टैगिंग के माध्यम से किया जाता हैं। उक्त योजना भारत की ग्रामीण आबादी के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जारी अंतिरम बजट में अगले 5 वर्षों में 2 करोड पक्के आवास बनाये जायेगें।

कीवर्डसः प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, सामाजिक, बजट, परिवार

प्रस्तावना : भारत गांवों का देश है, भारत देश की 70% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है। वस्तुतः हम जानते है कि ग्रामीण जनता कृषि कार्य के द्वारा अपना जीवन यापन करते है एवं अन्य दिहाड़ी मजदूरी करके अपना भरण-पोषण करते हैं। ग्रामीण कृषक जोकि अन्नदाता के स्वरूप माने जाते हैं, यह अनपढ़ एवं अशिक्षित होने के कारण शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का शिकार होते जा रहें हैं। प्रायः यह देखा गया है कि ग्रामीण कृषकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता जिसके कारणवश समय बीतने के साथ-साथ उनकी दशा दयनीय होती चली गयी एवं उनका जीवन स्तर दिनोंदिन गिरता चला गया। अतः ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' को 01 अप्रैल, 2016 से 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया। 29 मार्च, 2022 को माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया है। जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र नागरिकों को इस योजना के माध्यम से पक्का घर प्राप्त हो सकेगा। इस योजना का विस्तार करने के पश्चात शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण किए जाएंगे। जिससे कि 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। 155.75 लाख घरों के निर्माण में सरकार द्वारा 198581 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा 60:40 के अनुपात से हितग्राही को आवास निर्माण हेतु राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रदाय राशि में मजदूरी व्यय एवं आवास निर्माण की आवश्यक सामग्री क्रय करने हेतु राशि का भुगतान कार्य प्रारंभ होने से लेकर समाप्ति तक संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में प्रदान की जाती हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन का मूल उद्देश्य भारत के सभी ग्रामीण परिवार, जो बेघर हैं या कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं, उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाईयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, दिव्यांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक वर्गों को चिन्हित किया गया हैं। लाभार्थियों का चयन तीन चरणों के सत्यापन के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा, और भू-टैगिंग के माध्यम से किया जाता हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाए)- ग्रामीण के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग के लोगो को पक्का घर बनाना के

लिए दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर कर दिए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश इस योजना के कार्यान्वयन में दूसरे स्थान पर है। प्रतिवर्ष मध्यप्रदेश में 3.25 लाख आवास इस योजना के अंतर्गत बनवाए जाते हैं। जिसमें स्वच्छ खाना पकाने की जगह के साथ घर का न्यूनतम आकार 20 वर्ग मीटर से बढाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के सभी स्रोतों के माध्यम से साथ शौचालयों के निर्माण, पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन जैसे विभिन्न सरकारी सुविधाओं के अभिसरण का भी प्रयास किया जाएगा।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) कार्य का भोपाल जिले के संदर्भ में मूल्यात्मक अध्ययन करना है, ताकि इस योजना से प्रतिवर्ष प्राप्त आवासों का अध्ययन किया जा सके तथा योजना में आने वाली असुविधा व समस्या के समाधान हेतु प्रभावपूर्ण सुझाव दिये जा सकें।

I. साहित्य का पुनार्वलोकन:

मे जे. बालामूरूगन (2023) के द्वारा "इम्पेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाए-जी) इन रूरल डेवल्पमेंट" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित सरकारी योजना हैं। इस योजना के माध्यम से दो योजनाओं का क्रियान्वयन कर भारत में मौजूद शहरी और ग्रामीण आवास संकट को दूर करना हैं। शहरी और ग्रामीण आवास योजना की स्थापना 2015 में हुई और इसका उद्देश्य 2022 के अंत तक सभी गरीबों को स्वयं का पक्का घर उपलब्ध कराना हैं। ग्रामीण आवास की कमी ज्यादातर अस्थायी और भीड़भाड़ वाले घरों में रहने वाले परिवारों के कारण हुई थी। यह शोध ग्रामीण भारत में आश्रय के अभाव को दूर करने के लिए कुछ समग्र दृष्टिकोणों और विभिन्न तरीकों को समझता है, जैसे-रसोई, शौचालय, स्वच्छता, भोजन और रोजगार जैसे घटक सभी आवास संकट में भूमिका निभाते हैं। उक्त अध्ययन में PMAY के प्रभाव के रूप में लाभार्थियों और गैर-लाभार्थियों पर भी अध्ययन किया गया हैं।

2. उरोज शमीम, सैयद शुजा असकारी, प्रवीण पाठक एवं शिवम शर्मा (2023) के द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि शहरी आबादी का तेजी से विकास, आवास की कमी और खराब होने के साथ शहरी रहन-सहन की स्थिति के लिए अग्रणी है। भारत सरकार के लिए एक बडी चुनौती है सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना, इसके समाधान के लिए एक योजना प्रारंभ की गई जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)- सभी के लिए आवास (शहरी) के नाम जानते है। इस योजना का मूल उद्देश्य सभी पात्र लोगों को स्वयं का आवास उपलब्ध हो सकें।
3. कोमल प्रसाद एवं डॉ. राजभानू पटेल (2023) के द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन" स्वतंत्रता के तुरंत बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के साथ देश में सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किया गया और तब से अब तक गरीबी उपशमन के साधन के रूप में यह सरकार का प्रमुख क्षेत्र रहा है। जनवरी 1996 में एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में इंदिरा आवास योजना नामक ग्रामीण आवास कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में अनेक प्रकार की कमियां थीं। जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण आवास कार्यक्रम में इन कमियों को दूर करने के लिए एवं वर्ष 2022 तक सभी को मकान उपलब्ध कराने व सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इंदिरा आवास योजना को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-ग्रामीण) में पुनर्गठित कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 03.01.2023 तक कुल पंजीकृत आवासों की संख्या 3,01,57,874 है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लक्ष्य 2,94,14,606 रहा, अब तक 2,09,80,065 आवास पूर्ण किये जा चुके है, जो कि कुल लक्ष्य का 71.33 प्रतिशत है।
4. कोटरेशा मल्लानगोण्डरा (2022) के द्वारा "कर्नाटक राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का मूल्यांकन" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता का एक भाग है, इसके अलावा बुनियादी जरूरत होने के नाते आवास देश के आर्थिक विकास में सकारात्मक भूमिका निभाता है। आवास भौतिक और सामाजिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसे रोजगार प्रदान करना, सामाजिक स्थिरता प्रदान करना आदि।
5. एच. मंजुला बाई (2022) के द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना पर जनता की धारणा पर एक अध्ययन' विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना का अध्ययन जनता की धारणाओं एवं सीमाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया हैं। देश की गरीब जनता के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना 'हाउसिंग फॉर ऑल' सामाजिक एवं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साथ ही समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के बीच यह योजना परिवर्तन का कार्य कर रही हैं। प्राय: यह देखा गया कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही विभिन्न सरकारों द्वारा अनेक आवास योजना लागू की गई, इन योजनाओं में निरंतरता का अभाव होने के कारण

इन योजना की गति समय बीतने के साथ धीमी हो गई थी। इन सब के परिणामस्वरूप इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना में पुनर्गठित कर शहरी एवं ग्रामीण जनता के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है।

6. लिदिया लावरेंस (2022) के द्वारा "पब्लिक असिस्टेंस फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन इन केरला- विथ रिफरेंस टू लाइफ मिशन" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि पिछले दशकों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि होने के कारण आवास की मांग में वृद्धि हुई है। हालांकि आवासकी आपूर्ति को बढ़ावा देने वाले कई आवास कार्यक्रम होने के बावजूद आवास की कमी एवं हाल के वर्षों में निम्न आय वर्ग के लिए आवास की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। स्थानीय एवं स्व सहकारी संस्थानों के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सभी वित्तीय सुविधाओं का उपयोग करते है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना के माध्यम से आवास के साथ-साथ सभी बेघरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केरल परियोजना लागू की गई है।
7. डॉ. राजेन्द्र कुमार शुक्ला एवं संस्कृति चन्द्राकर (2022) के द्वारा "एन एनालिटीकल स्टडी ऑफ "मोर जमीन मोर मकान" योजना अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन (पीएमएवाय-यू)" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि देश के सभी नागरिकों का सपना होता है कि उनका अपना घर हो और इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाय-यू) 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सभी के लिए आवास है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में "मोर जमीन मोर मकान" योजना लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से आवास हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत शहरी गरीब परिवारों को "पक्के घर" बनाने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। आवास का निर्माण कार्य स्वयं के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से करनी होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी "मोर जमीन मोर मकान" योजना की प्रगति का अध्ययन किया गया है, जो लक्षित परिवार के लिए उपयुक्त योजना हैं।

क् वारादराजा एस. (2021) के द्वारा "अर्बन हाउसिंग स्कीम्स इन कर्नाटक विथ स्पेशल रिफरेंसस टू शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि सरकार आरक्षण के आधार पर बड़े पैमाने में नई किफायती आवास योजना के निर्माण में वृद्धि कर रही है। परियोजनाओं में एफ.ए.आर. का अधिमान उपभोग किया जाना चाहिए जिससे सरकार को के.टी.सी.पी. अधिनियम 1961 के तहत नियमों के अनुसार भवन निर्माताओं को टी.डी.आर. आसानी से प्रदान की जा सकें। सरकार के द्वारा भवन निर्माताओं को निर्धारित परियोजनाओं के लिए एएचयूएस, पीडीएएस, एफएआर एवं टीडीआर प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा सकें। निजी भवन निर्माताओं को परियोजनाओं में आरक्षण के आधार पर सभी को आवास देना अनिवार्य होगा। जिसके अन्तर्गत 1 हेक्टेयर या उससे अधिक के परियोजना क्षेत्र के लिए आवासीय का 10 प्रतिशत टाउनशिप परियोजनाओं में साइट का हिस्सा एवं 10 प्रतिशत बिल्ट-अप एरिया का एक हिस्सा अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स के लिए आरक्षित होगा।

9. शगुन अग्रवाल, त्रिभुवन प्रताप सिंह, दीपक बजाज, विमल पंत (2021) के द्वारा "अफॉर्डबल हाउसिंग इन अर्बन इंडिया: ए रिव्यु ऑफ क्रिटिकलटिकल सक्सेस फैक्टर्स (सीएसएफ एस) एड्रेसिंगसिंग हाउसिंग ऐडक्वसी विथ अफॉर्डबिल्टी फॉर द अर्बन पुअर" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि भारतीय शहरों में आवास की स्थिति एवं आवास क्षेत्र में शामिल विभिन्न हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करना एवं आवास की आपूर्ति एवं मांग पक्ष की अपेक्षाओं को संबोधित किया जाता है। स्थायी शहरी विकास के लिए आवश्यक सभी हितधारकों के लिए आवास को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारकों को स्थापित करता है।
10. पिनल बरोट (2021) के द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) स्कीम-एन इमेर्जिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ अफॉर्डबल हाउसिंग इन इंडिया" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये शहरी आबादी का तेजी से बढना आवास की कमी को दर्शाता है एवं गरीब लोगों को झुग्गी-झोपडी में रहने की बढती स्थिति के कारण भारत सरकार के लिए सभी के लिए आवास प्रदान करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। हाल ही में शुरू की गई आवास योजना किफायती दरों पर प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत सभी के लिए आवास के माध्यम से आवास उपलब्ध कराये जाते हैं। भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा आजादी के बाद से कई आवास कार्यक्रम लागू करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन कार्यक्रमों में निरंतरता और परस्पर जुड़ाव का अभाव था, जिनकी कमियों को दूर करते हुए सरकार द्वारा किफायती आवास योजना, पीएमएवाई-हाउसिंग फॉर ऑल (अर्बन) जैसी योजनाओं की शुरूआत की गई साथ ही शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास बनाने एवं अभिगम्यता की बाधा को दूर करने हेतु अनौपचारिक व्यवस्था की गई हैं। सबसे कमजोर सभी लक्षित समूहों को उनके कार्यक्षेत्र के हिसाब से लाभ प्रदान किए जाने का प्रयास किया गया हैं।
11. डॉ. अमीश बी. सोनी, हेरल गुरानी, मुस्कान शाह (2020) के द्वारा "ए स्टडी ऑन अवेयरनेस, बेनिफिट, एण्ड सटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विथ एम्फेसिस ऑन अहमदाबाद पीपुल" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता, लाभ एवं संतुष्टि के स्तर पर अहमदाबाद के लोगों पर अध्ययन

किया गया जिसमें पाया गया कि 4 सरकारी योजनाओं पीएमजेडीवाय, एसएसवाय, पीएमएवाय, पीएमएसीवाय, का अवलोकन शामिल किया गया है। इस अध्ययन में अनुसंधान पद्धति, डेटा विश्लेषण एवं व्याख्याएं शामिल की गई है। वर्तमान में शोध के आंकडों से यह ज्ञात होता है कि कितने लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानते है एवं पिछले कुछ वर्षों में लोगों ने कितना निवेश किया है। निवेश के बाद उन्हें किस प्रकार के लाभ प्राप्त हुए है, एवं इसमें निवेश करने के बाद वे कितने संतुष्ट है।

12. डॉ. होरेस्वर दास (2020) के द्वारा " रोल ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम: ए कम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ जोर्हत डेवलपमेंट ब्लॉक एण्ड नार्थ वेस्ट डेवलपमेंट ब्लॉक, जोर्हत, असम" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि ग्रामीण विकास के लिए उच्च स्तर से निम्न स्तर तक प्रशासनिक संगठन मजबूत होना आवश्यक होता है। क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी किसी भी योजना और कार्यक्रमों की रक्त धारा का कार्य करता है, साथ ही मजबूत एवं कुशल प्रशासन के बिना कोई भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर एक प्रशासनिक स्थापना के माध्यम से सबसे कम इकाई वाले ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास प्रशासन को विकास ब्लॉक कहा जाता है। विकास ब्लॉक सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (सी.डी.पी. एस) को लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई इकाई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जोरहाट जिले के ब्लॉक विशेष रूप से मनरेगा, आईएवाय/ पीएमएवाय, एसजीएसवाई/ एनआरएलएम एवं सीएमजेएसवाई के अध्ययन से ज्ञात किया गया है कि कुल उत्तरदाताओं में 288 जोर्हत से 77.1% है। विभिन्न ग्रामीण विकास से जुड़े नॉर्थवेस्ट डेवलपमेंट ब्लॉक से विकास ब्लॉक 22.9 दोनों ब्लॉक के प्रतिवादी और बहुसंख्यकों ने आईएवाय या पीपीएमएवाय-जी से लाभ प्राप्त किया। यह भी है विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों की आय देखी गई
13. खॉन, डॉ. निसार (2019) के द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना-एन एसेसमेंट फॉर्म हाउसिंग एडेक्यूसी प्रास्पेक्टिव" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी आवास योजना है, जिसमें 28 बिलियन डॉलर का प्रावधान रखा गया हैं। यह एक बहुआयामी कार्यक्रम है जो देश की जनसंख्या को व्यापक रूप से सामाजिक एवं आर्थिक कमजोर वर्गों को विभिन्न प्रकार के विकल्प और उत्पाद प्रदान करता है एवं यह न केवल मात्रात्मक पहलुओं बल्कि गुणात्मक पहलुओं में भी आवास परियोजनाओं या योजनाओं की प्रभावशीलता बनाये रखता हैं। आवास की पर्याप्तता लाभार्थियों को आवास न्याय के विचार का अनुमान लगाता है।
14. सलाम, डॉ. एम.डी. अब्दुस एवं सना फतिमा (2019) के द्वारा "ए स्टडी ऑफ आई.ए.वाय. एण्ड पी.एम. जी.एस.वाय. इन इंडिया" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि भारत का ग्रामीण क्षेत्र देश के कुल हिस्से का लगभग 60 प्रतिशत हैं। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन का होना देश की प्रगति में बाधक है। ग्रामीण क्षेत्र का मूल व्यवसाय कृषि है, कृषि देश के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने के लिए उच्चतम क्षेत्र हैं। आजादी के बाद से ही तत्कालीन सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया एवं समय-समय पर उन कार्यक्रमों में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भोजन, आश्रय, कपड़ें, शिक्षा आदि बुनियादी सुविधाएं तथा आधारभूत संरचाओं जैसे कि घर, सड़कें, बिजली, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार आदि व्यवस्था ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए पहल की गई है ताकि ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर पहुंच सकें। साथ ही यह बुनियादी ढांचे के विकास के आधार पर शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए सेतुबंध का कार्य करें। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण आधारभूत संरचना कार्यक्रमों की भूमिका को समझना हैं।
15. नेहा सावनता एवं अर्चना फुलवरिब (2019) के द्वारा "प्रोग्रेस इन रूरल हाउसिंग इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्मस पिरीयड" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गये कि हर इंसान के जीवित रहने के लिए बुनियादी जरूरतें महत्वपूर्ण होती है। आश्रय एक ऐसी प्रमुख आवश्यकता है जिसके द्वारा न केवल मनुष्य के भौतिक जीवन को बनाए रखे जा सकता है, बल्कि उसके जीवन में सुधार भी किया जा सकता है। आवास की कमी का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित होने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2011, 2012 से 2017 के दौरान अनुमानित 43.67 लाख ग्रामीण आवास की कमी दर्शाई गई। ग्रामीण गरीबों के लिए सरकारी आवास कार्यक्रम शुरू किए गए है एवं सब्सिडी वाले आवास के प्रावधान में चलाने के प्रयास किये गये। उसके साथ ही एक भी ग्रामीण आबादी का भाग जो संस्थागत ऋणों पर निर्भर रहता है। सरकारी कार्यक्रमों और आवास ऋणों के माध्यम से ग्रामीण आवास में रुझानों की परीक्षण कर बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ग्रामीण आबादी तक विस्तारित करने का उद्देश्य है एवं आवास के निर्माण में वृद्धि, आवास ऋण की वृद्धि, औसत ग्रामीण में परिवर्तन आदि शामिल है।

16. नीथु एम. माथिवस (2018) के द्वारा "द इफेक्टिव्नस ऑफ पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) ऑन द लाइव्स ऑफ फिशरमैन कम्यूनिटी" विषय पर प्रकाशित शोध पत्र के माध्यम से निम्न निष्कर्ष प्राप्त किये गए कि मछुआरा समुदाय के जीवन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव जानने के लिए कोल्लम जिले के वाडी डिवीजन को विशेष संदर्भ के रूप में चुना गया। केंद्र और राज्य द्वारा कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए है, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, विपणन एवं व्यापार हेतु सब्सिडी प्रदान करना, अनुदान पद्रान करना आदि कार्यक्रमों का उद्देश्य मछुआरा समुदाय के जीवन स्तर में सुधार करना हैं। शोध अध्ययन में लोगों के बीच जीवन स्तर में बदलाव पर पीएमएवाई (आवास योजना) कार्यक्रम के प्रभाव का विश्लेषण किया गया हैं। इस योजना के माध्यम से मछुआरों समुदाय को लाभ हुआ है, सभी लाभार्थी इस योजना के क्रियान्वयन से संतुष्ट थे।
17. माथुर (1980) के द्वारा "हाउसिंग द पुअर" अपनेलेख में उल्लेख किया है कि भारत में आवास के विकास की धीमी गति और आवास की कमी के अंतर्निहित कारणों को जानने का प्रयास किया हैं, एवं यह तर्क दिया कि गरीबों के आवास की स्थिति में सुधार के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखना आवश्यक हैं। सामुदायिक सुविधाओं और सार्वजनिक उपयोगिताओं के द्वारा घरों के चरणबद्ध निर्माण और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान की आवश्यकता पर भी बल दिया हैं। लेखक ने ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए कम लागत के घर के महत्व पर प्रकाश डाला है।
18. फ्रांसिस चेरुनिलम और ओडेयर हेगड़े (1987) के द्वारा "हाउसिंग इन इंडिया" विषय पर भारत जैसे विकासशील देशों में वैश्विक आवास समस्या के बारे में विश्लेषण कर यह पाया कि भारत देश में आवास क्षेत्र की दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपायों की आलोचनात्मक समीक्षा कर यह पाया गया कि अर्थव्यवस्था में आवास के महत्व एवं आवास की धीमी वृद्धि के कारणों की पहचान की गई हैं। इस आलेख के द्वारा सहकारी समितियों की बढ़ती भूमिका के बारे में भी बताया गया है तथा यह ज्ञात किया कि भारत जैसें विकासशील देशों में आवास में बेहतर निवेश की आवश्यकता हैं।

II. शोध का उद्देश्य :-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) क्षेत्र की अवधारणा को स्पष्ट करना।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के भोपाल जिले से संबंधित संरचना को स्पष्ट करना।
3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त सुविधाओं का अध्ययन करना।
4. भोपाल जिले के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का मूल्यांकन करना।
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

III. शोध परिकल्पनाः-

प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा संबंधित शोध विषय प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल्यांकन (भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में) के अन्तर्गत निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है।

1. भोपाल जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास का प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से काई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं भोपाल जिले के विकास का परस्पर संबंध है।

IV. शोध अध्ययन प्रविधिः-

शोध सामान्यतः वर्तमान ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान की खोज करने की प्रक्रिया है। अर्थात शोध के द्वारा वर्तमान ज्ञान में वृद्धि की जाती है जिसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर निष्कर्ष प्राप्त किए जाते है। शोध प्रक्रिया किसी समस्या के संभावित उत्तर अर्थात परिकल्पना के अवलोकन से प्राप्त सूचना की सहायता से परीक्षण करना है।

V. शोध अध्ययन का क्षेत्रः-

किसी भी अनुसंधान की विषयवस्तु के विस्तृत अध्ययन के क्षेत्र का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता। अतः प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत शोधार्थी द्वारा "प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल्यांकन (भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में)" को योजना के रूप में चुना गया है एवं उसके द्वारा प्रदत्त आवास योजना का मध्यप्रदेश में मूल्यांकन हेतु भोपाल जिले को शोधक्षेत्र के रूप में चुना है प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत वर्तमान में 3 तहसील साथ ही 2 विकासखंड शामिल है, जिनके नाम निम्नवत हैं :- बैरसिया, कोलार, हुजूर एवं फंदा।

VI. शोध संरचनाः-

प्रस्तुत शोध अध्ययन की संरचना वर्णानात्मक है जिसके अन्तर्गत शोध समस्या से संबंधित वास्तविक तथ्यों का संकलन कर वर्णानात्मक आधार पर उसका संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

VII. न्यादर्शः-

वस्तुतः किसी भी शोध में शोधकर्ता को अपने अध्ययन के लिए किसी क्षेत्र या समूह का चयन करना होता है तथा उस क्षेत्र के समूह के व्यक्तियों का अध्ययन करके ही वह सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। वह समूह ही न्यादर्श कहलाता है। शोधार्थी द्वारा आंकड़ों के संग्रहण हेतु यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रविधि द्वारा 300 तक प्रतिदर्श लेना प्रस्तावित है।

VIII. समंको का संग्रहणः-

किसी भी शोध की सफलता शोध के विषय के संबंध में एकत्रित समंको एवं सूचनाओं की वास्तविकता पर निर्भर करती है। समंकों के संग्रहण के आशय के एकत्रित किए जाने से है। प्रत्येक शोध में समंकों का संग्रहण प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। प्रस्तावित शोध में शोधार्थी द्वारा सूचनाएँ एवं समंको का संग्रहण निम्न प्रकार से किया जाना प्रस्तावित हैः-

1. **प्राथमिक समंक एवं सूचनाऐं** - प्राथमिक समंक एवं सूचनाएँ समंको के एकत्रीकरण के वे स्रोत है जिन्हे शोधकर्ता द्वारा वास्तविक स्तर पर प्रथम बार एकत्रित किया जाता है। प्रस्तावित शोध में शोधकर्ता द्वारा प्राथमिक समंकों एवं सूचनाओं के संकलन हेतु प्रश्नावली साक्षात्कार के माध्यम से संवाददाताओं द्वारा सूचनाएँ प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
2. **द्वितीयक समंक एवं सूचनाऐं-** द्वितीयक समंक एवं सूचनाएँ समंकों के एकत्रीकरण के वे स्रोत है। जिन्हे शोधकर्ता द्वारा प्रकाशित व अप्रकाशित प्रलेखों, रिपोर्ट, पत्र डायरी, इन्टरनेट आदि के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। प्रस्तावित शोध में शोधकर्ता द्वारा द्वितीयक समंको के रूप में आवास योजना मूल्यांकन से संबंधित सूचनाएँ पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्रों आवास योजना द्वारा प्रकाशित पुस्तकें एवं जर्नल इन्टरनेट आदि के माध्यम से ली जाऐगी तथा आवश्यकतानुसार सांख्यकीय विधियों तथा काई-वर्ग परीक्षण, प्रमाप विचलन एवं मध्यिका (अनुमानित) का प्रयोग कर एवं उन्हें विष्लेषित कर निष्कर्ष की पुष्टि की जाएगी।

IX. शोध का योगदानः-

प्रस्तुत अध्ययन में वर्तमान में ग्रामीण जीवन में आवास योजना के साथ-साथ समाज के उत्थान के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं। उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है एवं ग्रामीण समाज उनसे किस प्रकार लाभान्वित हो रहा है तथा प्रदेश की उन्नति में यह किस प्रकार सहायक है, आदि विषयों पर यह शोध कार्य प्रकाश डाल सकेगा। साथ ही उक्त योजना के क्रियान्वयन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेंगे। जो कि समाज के साथ-साथ देश ओर प्रदेश की प्रगति में भी सहायक सिद्ध होंगे तथा भावी शोध अध्ययन के लिए शोध कार्य दिशा निर्देशन का कार्य भी करेगा।

X. शोध की सीमाऐं:-

1. शोध अध्ययन के विषय के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं जिला पंचायत कार्यालय भोपाल जिले द्वारा प्राप्त सूचनाओं एवं समंकों तक सीमित होगी।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) द्वारा उक्त आवास योजनाओं को लागू किया गया है। उन्हीं को आधार मानकर भोपाल जिले के ग्रामीण क्षेत्र में योजना की स्थिति का अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्तुत शोध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वारा होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित आंकडों तक यह शोध कार्य सीमित होगा।

XI. **भोपाल जिलाः-** भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने 1000-1055 ईस्वी में की थी। परमारों के बाद भोपाल शहर में अफ़ग़ान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान (1708-1740) का शासन रहा। 1947 में जब भारत को स्वतन्त्रता मिली, तब भोपाल राज्य की वारिस आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गईं। 1 जून 1949 के दिन भोपाल राज्य का भारत में विलय हो गया। भोपाल मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में दो विकासखंड फंदा एवं बैरसिया स्थित हैं।

भोपाल जिले में जनसंख्या का विवरण :

भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	कुल जनसंख्या	नगरीय जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	कुल पुरुष	कुल महिला	पुरुष महिला लिंगानुपात	साक्षरता दर
2772	2368145	1917051	454010	1239378	1128767	918	80.37%

XII. शोध के संभावित निष्कर्षः-

शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि के कारण आवास की कमी और खराब शहरी रहने की स्थिति भारत सरकार के लिए एक प्रमुख चुनौती है। विभिन्न संबंधित साहित्य की समीक्षा का विश्लेषण करते समयए किफायती आवास पर कई अध्ययन देखे गए। यह देखा गया कि भारत में आजादी के बाद से विभिन्न सरकारों द्वारा कई आवास कार्यक्रम लागू किए गए हैं। भोपाल जिले के अन्तर्गत इन योजनाओं में निरंतरता और अंतर्संबंधों का संभावित रूप से अभाव पाया गया। इस कमी को दूर करते हूए एवं योजनाओं की प्रगति जागरूकता को प्रदान करने के उद्देश्य शोधार्थी द्वारा इस विषय का चुनाव किया गया है।

XIII. संदर्भ ग्रन्थ सूची

- जे. बालामूरूगन (2023) ''इम्पेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाए-जी) इन रूरल डेवल्पमेंट'' Journal of Social Welfare and Management/Volume 15 Number1/Jan-April 2023.
- ठरोज शमीम, सैयद शुजा असकारी, प्रवीण पाठक, शिवम शर्मा (2023) ''प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)'' IJRAR May 2023, Volume 10, Issue 2 E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138.
- डॉ. राजभानू पटेल, कोमल प्रसाद (2023) ''प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का क्रियान्वयन'' ISSN: 2249-894X, IMPACT FACTOR: 5.7631 (UIF) Volume-12, Issue-4, January-2023.
- कोटरेशा मल्लानगोण्डरा (2022) ''इन इवल्यूवेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इन कर्नाटक'' 2022 IJCRT/ Volume 10, Issue 8 August 2022 ISSN:2320-2882.
- एच. मंजुला बाई (2022) ''ए स्टडी ऑन पब्लिक प्रेसेप्शन ऑन प्रधानमंत्री आवास योजना'' ComFin Research, vol.10 no.2, 2022 pp.30-39.
- लिदिया लावरेंस (2022) ''पब्लिक असिस्टेंस फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन इन केरला- विथ रिफरेंस टू लाइफ मिशन'' IJCRT, Volume 10, Issue 2 February 2022, ISSN: 2320-2882.
- डॉ. राजेन्द्र कुमार शुक्ला, संस्कृति चन्द्राकर (2022) ''एन एनालिटीकल स्टडी ऑफ ''मोर जमीन मोर मकान'' योजना अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन (पीएमएवाय-यू)'' IJCRT Volume 10, Issue 3 March 2022, ISSN: 2320-2882.
- वारादराजा एस. (2021) ''अर्बन हाउसिंग स्कीम्स इन कर्नाटक विथ स्पेशल रिफरेंसस टू शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट'' IJRAR March 2021, Volume 8, Issue 1 E-ISSN 2348-1269, P- ISSN 2349-5138.
- शगुन अग्रवाल, त्रिभुवन प्रताप सिंह, दीपक बजाज, विमल पंत (2021) ''अफॉर्डबल हाउसिंग इन अर्बन इंडियाः ए रिव्यु ऑफ क्रिटिकलटिकल सक्सेस फैक्टर्स (सीएसएफ एस) एड्रेसिंगसिंग हाउसिंग ऐडक्वसी विथ अफॉर्डबिल्टी फॉर द अर्बन पुअर'' ISSN: 1460-8790, 31 December, 2021, Vol. 25, No. 1, pp. 61-79.
- पिनल बरोट (2021) ''प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाए) स्कीम- एन इमेर्जिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ अफॉर्डबल हाउसिंग इन इंडिया'' IJRAR May 2021, Volume 9, Issue 1 E-ISSN 2410-1345, P-ISSN 2411-5467.
- डॉ. अमीश बी. सोनी, हेरल गुरानी, मुस्कान शाह (2020) ''अ स्टडी ऑन अवेयरनेस, बेनिफिट, एण्ड सटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विथ एम्फेसिस ऑन अहमदाबाद पीपुल'' IJCRT, Volume 8, Issue 9, September 2020, ISSN: 2320-2882.
- डॉ. होरेस्वर दास (2020) ''रोल ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असमः ए कम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ जोहत डेवलपमेंट ब्लॉक एण्ड नार्थ वेस्ट डेवलपमेंट ब्लॉक, जोहत, असम'' IJCRT, Volume 8, Issue 6, June 2020, ISSN: 2320-28820.
- खॉन, डॉ. निसार (2019) ''प्रधानमंत्री आवास योजना- एन एससेसमेंट फॉर्म हाउसिंग एडेक्यूसी प्रेस्पेक्टिव'' 2019 IJRAR May 2019, Volume6, Issue 2, E-ISSN 2348-1269, P-ISSN 2349-5138.
- सलाम, डॉ. एम.डी. अब्दुस, सना फतिमा (2019) ''ए स्टडी ऑफ आईएवाय एण्ड पीएमजीएसवाय इन इंडिया'' IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 7, Ser. 8 (July. 2019) 16-23 E-ISSN: 2279-0837, P-ISSN: 22.
- नेहा सावनता, अर्चना फुलवरिब (2019) ''प्रोग्रेस इन रूरल हाउसिंग इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्मस पिरीयड'' IJSRR 2019, 8(1), 2552-2560 IJSRR, 8(1) Jan.–Mar. 2019, Page 2552, ISSN: 2279–0543.
- नीथु एम. माथिवस (2018) ''द इफेक्टिव्नस ऑफ पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) ऑन द लाइव्स ऑफ फिशरमैन कम्यूनिटी'' 2018 JETIR August 2018, Volume 5, Issue 8, ISSN-2349-5162.
- ग्रियप्पा, एस., हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली.1998।
- फ्रांसिस चेरुनिलम और ओडियार डी हेगड़े हाउसिंग इन इंडिया, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 1984

वेबसाईट :-

- https://censusindia.gov.in
- http://www.prd.mp.gov.in/PMAYG/Default.aspx
- ttps://hi.wikipedia.org/wiki/प्रधानमंत्री_ग्रामीण_आवास_योजना